सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

वैशाख 21, बुधवार, शाके 1944-मई 11, 2022
Vaisakha 21, Wednesday , Saka 1944- May 11, 2022

भाग-7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुये सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

कार्यालय सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (प्र.एवं नि.). अजमेर

अधिसूचना

अजमेर, अप्रेल 27, 2022

प्रे 132 : भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 अनु-164 एवं भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 (केन्द्रीय अधि .13/1885) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.2.2004 जिसे राजस्थान के राजपत्र में दिनांक 08.03.2004 को एस.ओ. 408 पृष्ठ 393 (13) भाग 4 (जीए) तदोपरान्त राजस्थान सरकार द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना सं एफ .15 (4) ऊर्जा/2017 दिनांक 03.10.17 जिसे राजस्थान राजपत्र में दिनांक 09.10.2017 को प्रकाशित किया गया। जिसके अनुसार सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (प्र .एवं .नि.) रारविप्रनिलि, अजमेर/जयपुर/जोधपुर को उनके अधिकार क्षेत्र में बिजली के प्रसारण के लिए या काम के उचित समन्वय के लिए आवश्यक टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक संचार के उद्श्य से बिजली की लाइनों या बिजली संयत्रों को खडा करने के लिए मार्ग-अधिकार अथार्त राइट ऑफ़ वे की उपयुक्त मंजूरी जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरित सक्षम अधिकारी बिजली की आपूर्ति हेतु **132 के वी सब स्टेशन सोनियाना हेतु 132 के वी एकल परिपथीय राशमी–हमीरगढ़ लाइन से 132 के वी लीलो लाइन के निर्माण के लिए मार्ग-अधिकार अर्थात् राइट आफ वे** की उपयुक्त मंजूरी जारी करते है। उक्त द्विपथीय लाईन निम्नलिखित गांवो की सीमा/राजस्व क्षेत्र के भीतर से गुजरेगी।

क्रम संख्या	गांव के नाम	क्रम संख्या	गांव के नाम
1	**जयसिंहपुरा**	**6**	**दांता का खेड़ा**
2	**गरवरसिंह का खेड़ा**	**7**	**जोजरों का खेड़ा**
3	**देवदा**	**8**	**सूरतसिंह जी का खेड़ा**
4	**रायपुरिया**	**9**	**शम्भूपुरा (काला का खेड़ा)**
5	**निम्बाहेड़ा**	**10**	**सोनियाना**

सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (प्र.एवं नि)
रा.रा.वि.प्र.नि.लि, अजमेर

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।